

3-4 50 110 44

1033

संख्या 7793 / लो.नि.-1 / 2002-10 (सामान्य) / 02

प्रेषक,
श्री. नीलेश
16/11
सेवा में,
मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

एन. रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1


देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2002

विषय:-

उत्तरांचल में दूर संचार/विद्युत विभाग/जल निगम/जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के सम्बन्ध में।

1931
18-11-02

महोदय,



लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के अधीन मार्गों पर दूर संचार/विद्युत विभाग/जल निगम/ जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा मार्गों को काट कर केबिल विछाने / पाईप लाईन डालने एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जाते हैं, जिनके फलस्वरूप मार्गों की दशा खराब हो जाती है तथा यातायात में असुविधा के साथ-साथ दुर्घटनाओं की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यातायात के निर्बाध संचालन एवं दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग की सड़कों में किसी भी विभाग द्वारा सड़क काट कर केबिल विछाने / पाईप लाईन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से सड़क काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, भले ही केबिल मार्ग के किनारे डाली जा रही हो। सम्बन्धित विभाग, ले आऊट प्लान पर लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड को अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजेगा एवं सम्बन्धित खण्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिनों में एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम एक माह में अनुमति जारी कर दी जायेगी एवं कटिंग चार्ज का बिल दूर संचार विभाग या अन्य सम्बन्धित विभाग को भेजने एवं धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी।

2. मैदानी क्षेत्र में सड़कों के एम्बेकमेंट के बाहर कच्चे में अर्थात् लेपित सतह के एज में 3 मीटर से अधिक दूरी पर ट्रेंच खोदकर यदि केबिल डाली जाती है और केबिल डालने के बाद ट्रेंच भर दी जाती है तो रोड कटिंग चार्ज संलग्न किये जा रहे रोड कटिंग चार्ज में उल्लिखित कच्चे मार्ग हेतु इंगित कटिंग के अनुसार देय होंगे।

3. पर्वतीय मार्गों पर खड्ड साईड में सड़क काटकर केबिल डालने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश रोडवे चौड़ाई में ही केबिल / पाईप आदि डालना आवश्यक हो तो रोड साईड ड्रेन की तली के नीचे कम से कम 75सेमी. खोदकर डाली जाय, जिस हेतु कटिंग चार्ज नियमानुसार निर्धारित कच्ची या पक्की नाली के अनुसार देय होंगे।

4. दूर संचार विभाग या अन्य विभाग द्वारा मात्र उतनी ही लम्बाई में ट्रेंच खोदी जाय जितनी लम्बाई केबिल के रोल की है और केबिल में ट्रेंच में डालकर व ट्रेंच भरकर आगे ट्रेंच खोदने की कार्यवाही की जाय, जिससे यातायात संचालन में असुविधा न हो। उचित होगा कि एक बार में अधिकतम 200 मी० लम्बाई में ट्रेंच खोदी जाय व केबिल डालकर व भरकर उसके आगे खुदाई की जाय, खुदाई के स्थान पर चेतावनी के होर्डिंग्स अनिवार्य रूप से लगाने का उत्तरदायित्व खुदाई करने वाले सम्बन्धित विभाग का होगा।

5. खोदी गयी मिट्टी रोड साईड ड्रेन में या मार्ग पर न पड़ी रह जाय इसके लिये यह आवश्यक है कि कार्य समाप्ति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय तथा इसके उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि लौटाई जाय।

प्रमाणित
सचिव

क्रमशः.....2/-

